TaxcodeIN | www.taxcode.in

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2021

सं. 20/2021-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 364(अ).—सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ,परिषद की सिफारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय(राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 04/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 23 जनवरी, 2018, जिसे सा.का.नि. 53(अ),दिनांक 23 जनवरी, 2018, के तहत, भारत के राजपत्र, आसाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में चौथे परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक को अंत :स्थापित किया जाएगा, यथा:-

" परंतु यह भी कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के तहत कर अवधि जून, 2021 से या जून, 2021 को समाप्त होने वाली तिमाही से, जैसा भी मामला हो, के लिए देय कुल विलंब फीस की राशि, जो कि नीचे दी गई तालिका के कॉलम (3) में निर्दिष्ट राशि से अधिक है, उक्त तालिका के कॉलम (2) में संबंधित प्रविष्टि में उल्लिखित रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए जो **प्ररूप जीएसटीआर-1** में जावक आपूर्ति के ब्योरे का विवरण नियत तारीख तक प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, का अधित्यजन किया जाएगा, अर्थात्: -

तालिका

क्रमांक **(1)**	**रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग** **(2)**	**राशि** **(3)**
1.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनकी कर अवधि में कोई जावक आपूर्ति नहीं है	दो सौ पचास रुपये
2.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपये तक हो, क्रम संख्या 1 में शामिल व्यक्तियों के अलावा	एक हजार रुपये
3.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपये से अधिक और 5 करोड़ रुपये तक हो, क्रम संख्या 1 में शामिल व्यक्तियों के अलावा	दो हजार पांच सौ रुपये

[फा. सं. सीबीआईसी -20001/5/2021]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट:- मूल अधिसूचना संख्या 04/2018– केन्द्रीय कर, दिनांक 23 जनवरी, 2018 को सा.का.नि. 53(अ),दिनांक 23 जनवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, आसाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्या 53/2020- केन्द्रीय कर, दिनांक 24 जून 2020, जिसे सा.का.नि. 406(अ), दिनांक 24 जून 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा किया गया है ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2021

No. 20/2021 – Central Tax

G.S.R. 364(E).— In exercise of the powers conferred by section 128 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 4/2018– Central Tax, dated the 23rd January, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 53(E), dated the 23rd January, 2018, namely: —

In the said notification, after the fourth proviso, the following proviso shall be inserted, namely: —

TaxcodeIN | www.taxcode.in

TaxcodeIN | www.taxcode.in

"Provided also that the total amount of late fee payable under section 47 of the said Act for the tax period June, 2021 onwards or quarter ending June, 2021 onward, as the case may be, shall stand waived which is in excess of an amount as specified in column (3) of the Table given below, for the class of registered persons mentioned in the corresponding entry in column (2) of the said Table, who fail to furnish the details of outward supplies in **FORM GSTR-1** by the due date, namely: —

TABLE

S. No. (1)	Class of registered persons (2)	Amount (3)
1.	Registered persons who have nil outward supplies in the tax period	Two hundred and fifty rupees
2.	Registered persons having an aggregate turnover of up to rupees 1.5 crores in the preceding financial year, other than those covered under S. No. 1	One thousand rupees
3.	Registered persons having an aggregate turnover of more than rupees 1.5 crores and up to rupees 5 crores in the preceding financial year, other than those covered under S. No. 1	Two thousand and five hundred rupees

[F. No. CBIC-20001/5/2021]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification No. 4/2018-Central Tax, dated 23rd January, 2018 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 53(E), dated the 23rd January, 2018 and was last amended *vide* notification number 53/2020 – Central Tax, dated the 24th June, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 406(E), dated the 24th June, 2020.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2021

सं. 21/2021-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 365(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय(राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 73/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 29 दिसंबर, 2017, जिसे सा.का.नि.1600(अ),दिनांक 29 दिसंबर, 2017, के तहत,भारत के राजपत्र, आसाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, चौथे परंतुक के पश्चात निम्नलिखित परंतुक को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह भी कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन वित्तीय वर्ष 2021-22 और उसके आगे की अवधि के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा देय विलंब फीस की कुल राशि, जो देय तिथि तक **प्ररूप जीएसटीआर-4** में विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, का अधित्यजन कर दिया जाएगा-

(i) जो कि दो सौ पचास रुपए से अधिक है जहां उक्त विवरणी में देय केन्द्रीय कर की कुल राशि शून्य है;

(ii) जो कि एक हजार रुपये से अधिक है, उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जो कि (i) में शामिल व्यक्तियों के अलावा है |

[फा. सं. सीबीआईसी -20001/5/2021]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट:- मूल अधिसूचना संख्या 73/2017– केन्द्रीय कर, दिनांक 29 दिसंबर, 2017 को सा.का.नि. 1600(अ),दिनांक 29 दिसंबर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, आसाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार संशोधन

TaxcodeIN | www.taxcode.in